



संत हिंदुराम कन्या महाविद्यालय, भोपाल

छात्रवृत्ति के लिये आवश्यक दस्तावेज DOCUMENTS REQUIRED FOR SCHOLARSHIP

1. महाविद्यालय में प्रवेश के पत्र की छायाप्रति (Acknowledgment Letter)
2. महाविद्यालय शुल्क की रसीद की छायाप्रति (Tuition Fee Slip)
3. 10 वीं की अंकसूची की छायाप्रति (Marksheets Class-X)
4. 12 वीं की अंकसूची की छायाप्रति (Marksheets Class-XII)
5. छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु उत्तीर्ण सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची (Marksheet Passed Semester/ Year)
5. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate) की छायाप्रति (प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्राओं हेतु)
6. सक्षाम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (Digital Caste Certificate), यदि लागू हो तो
7. बीपीएल राशन कार्ड की छायाप्रति (केवल प्रतिभा किरण योजना में)
8. सक्षाम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल आय प्रमाणपत्र (Digital Income Certificate)
9. सक्षाम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल मूल निवासी प्रमाणपत्र (Digital Domicile Certificate)
10. पिता/पालक की वेतन पर्ची (Pay Slip)
11. बैंक पासबुक की छायाप्रति
12. आधार कार्ड की छायाप्रति
13. समग्र आईडी की छायाप्रति
14. पालक का आय संबंधी घोषणा पत्र (केवल पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति SC, ST एवं OBC हेतु) नोटराईज्ड स्टांप पर
15. गैप सर्टिफिकेट, अध्ययन में अंतराल हेतु
16. अल्पसंख्यक होने का घोषणा पत्र (केवल अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु)



संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय, भोपाल

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित शासकीय छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम

- यह केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मैरिट आधारित छात्रवृत्ति योजना है। जेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा इस योजना के लिये आवेदन किया जाता है।
- वे छात्राएं जिन्होंने एमपी बोर्ड/सीबीईएसई या देश के किसी अन्य बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा 80 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की वे छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम हैं तथा योजना का लाभ लेकर वाली छात्राएं इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
- मैरिट सूची में चयन होने पर आवेदक को Graduation में ₹. 10,000/- प्रतिवर्ष तथा Post Graduation में ₹. 20,000/- प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण

छात्रवृत्ति योजना

- यह केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मैरिट आधारित छात्रवृत्ति योजना है। जेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा इस योजना के लिये आवेदन किया जाता है।
- अल्पसंख्यक समुदाय की वे छात्राएं जिन्होंने एमपी बोर्ड/सीबीईएसई या देश के किसी अन्य बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र है।
- भारतीय सरिधान के अनुसार मुस्लिम, जैन, सिख, दस्ती, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के सदस्य अल्पसंख्यक की पात्रता रखते हैं इसके अतिरिक्त किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति को अल्पसंख्यक की पात्रता नहीं है।
- मैरिट सूची में चयन होने पर आवेदक को ₹. 6,000/- प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होते हैं।

यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर पी.

जी. स्टूडेंट्स

- यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।
- वीज्युएशन के द्वारा विश्वविद्यालय की मैट्रिक्युलेशन में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं इस योजना के लिये आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
- चयन होने पर आवेदक को Post Graduation में ₹. 31,000/- प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं।

पी.जी. इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल

चाइल्ड

- यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।
- वे छात्राएं जो अपने माता पिता की एकल संतान हैं तथा जिन्होंने Post Graduation में नियमित प्रवेश लिया इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
- चयन होने पर आवेदक को Post Graduation में ₹. 36,200/- प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं।

प्रायवेट छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं

इनके अतिरिक्त महाविद्यालयों की मेधावी किन्तु निर्दृष्ट छात्राओं को संस्था के सहायक संस्थान नवयुवक परिषद एवं जीव सेवा संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

छात्रवृत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी श्री जीतेश मनसुखानी से संपर्क करें। मोबाइल नं. 7489771941



संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय, भोपाल

राज्य सरकार द्वारा संचालित शासकीय छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं

पोर्टफोलीयो एस.सी., एस.टी. एवं ओवीसी छात्रवृत्ति

- यह राज्य सरकार द्वारा संचालित मैरिट आधारित छात्रवृत्ति योजना है। राज्य शासन द्वारा संचालित स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा इसके लिये ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।
- अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के अतर्गत आने वाली वे छात्रों के लिये परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की वे छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम हैं तथा इस योजना का लाभ लेकर वाली छात्राएं इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
- वीज्युएशन के द्वारा विश्वविद्यालय की मैट्रिक्युलेशन में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
- योजना हेतु आवेदन करने के लिये बारहवीं की परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजना होने पर आवेदक को ₹. 5,000/- प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त होते हैं।

अनुसूचित जाति/ जनजाति आवास सहायता योजना

- यह राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना है। जिसका लाभ छात्रवृत्ति के अतिरिक्त लिया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा संचालित स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा इसके लिये ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।
- अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के अतर्गत आने वाली वे छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से कम है तथा जिनके द्वारा विश्वविद्यालय की मैट्रिक्युलेशन में सीट अवार्ड नहीं हुई है। वे इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र हैं।
- इस योजना का लाभ केवल म.प्र. के मूल निवासियों को ही दिया जायेगा। भोपाल संभाग में ₹. 2,000/- प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह प्रत्येक शीक्षणिक सत्र में आवास सहायता राशि देय होती है। योजना होने पर आवेदक को Graduation में ₹. 3,000/- एवं Post Graduation में ₹. 5,000/- प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं।

कर्मकार कल्याण मंडल प्रोत्साहन योजना

- यह राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रोत्साहन योजना है। जिसका लाभ छात्रवृत्ति के अतिरिक्त लिया जा सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑफलाइन फॉर्म द्वारा आवेदन किया जाता है।
- शहरी श्रेष्ठ में निवासरत वे छात्राएं जो गरीबी (वीपीएल कार्ड धारक) जीवन यापन करती हैं, इस योजना हेतु पात्र हैं।
- योजना हेतु आवेदन करने के लिये बारहवीं की परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजना होने पर आवेदक को ₹. 5,000/- प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं।
- योजना हेतु आवेदन करने के लिये बारहवीं की परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजना होने पर आवेदक को Graduation में ₹. 2,000/- एवं Post Graduation में ₹. 3,000/- प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं।

छात्रवृत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी श्री जीतेश मनसुखानी से संपर्क करें। मोबाइल नं. 7489771941